

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0****संख्या- 226 वर्ष 2026**

सुनील दत्त तिवारी

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: कैलाश नाथ मिश्रा, नीरज पाण्डेय
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -15**माननीय न्यायमूर्ति श्री करुणेश सिंह पवार**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्य नारायण मिश्रा द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा पत्रावली पर लेते हुए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

यह आवेदन, थाना-कर्नलगंज, जिला-गोंडा में भारतीय दंड संहिता कि धारा 419, 420, 467, 468 के तहत परिवाद संख्या 5059/2013 में, आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन पक्ष के मामले में जो कि एक शिकायत वाद है, यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और श्यामलाल (मृतक) बनकर, कर्नलगंज में एक जाली वसीयतनामा निष्पादित किया; जबकि सभी पक्ष ताराबगंज के निवासी हैं और विवादित संपत्ति भी ताराबगंज में ही स्थित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि आवेदक को केवल एक सीमांत गवाह के रूप में दर्शाया गया है। यह विवाद मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है। विश्वनाथ नामक एक व्यक्ति ने सक्षम न्यायालय के समक्ष वसीयतनामा निरस्त कराने हेतु एक दीवानी वाद प्रस्तुत किया था, जिसे निरस्त कर दिया गया था, और यह मामला उच्च न्यायालय तक लड़ा गया था। अब यह बताया गया है कि वही मामला उप विभागीय मजिस्ट्रेट, गोंडा के समक्ष विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत एक घोषणात्मक वाद भी दाखिल किया गया है, जो अभी विचाराधीन है।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और ये अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। आवेदक विचारण में सहयोग करने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वचन देता है। यह भी निवेदन किया गया है कि सह-आरोपी सुषमा तिवारी, जो कि वसीयत की लाभार्थी हैं, को जमानत आवेदन के अनुबंध संख्या 12 के माध्यम से अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। सह-आरोपी जगदंबा प्रसाद को अग्रिम जमानत याचिका संख्या 145/2026 में दिनांक 18.2.2026 को पारित आदेश के तहत अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता तथा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आरोपी व्यक्तियों, जिनमें आवेदक भी शामिल है, द्वारा जालसाजी की गई है; उल्लेखनीय है कि आवेदक इस मामले में एक सीमांत गवाह होने के साथ-साथ दस्तावेज़ लेखक भी है।

अभिलेख का परिशीलन किया गया।

तथ्यों पर समुचित विचार करने के उपरांत—विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक सीमांत गवाह है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; यह अपराध एक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; ऊपर उल्लिखित सह-आरोपी को जमानत मिल चुकी है; राजस्व न्यायालय के समक्ष एक घोषणात्मक वाद लंबित है; तथा बिना कोई ऐसी टिप्पणी किए जिससे विचारण के परिणाम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े—मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु एक ठोस आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हैं।

तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे। आत्मसमर्पण करने पर, आवेदक को एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा; ये जमानतें विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप होनी चाहिए।

आवेदक विचारण प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा और गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा। वह न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। विचारण न्यायालय को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि वह उचित एवं न्यायसंगत समझे, तो कोई अन्य शर्त भी अधिरोपित कर सकता है।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को विधि के अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

समता के आधार पर यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायाधीश श्री करुणेश सिंह पवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्च 19, 2026

केकेबी /

Translated Version. Not for Legal Use.